समुद्री सुरक्षा में एआई की भूमिका बढ़ेगी

- भविष्य की चुनौतियों से निपटने रोडमैप तैयार करें
- आज की लड़ाइयां सॉफ्टवेयर व सर्विलांस से

नई दिल्ली, 29 सितम्बर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा है. उनका जोर रहा कि नई तकनीकों जैसे, ड्रोन और साइबर सुरक्षा को अपनाना अब विकल्प नहीं, जरूरत है.

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारतीय तटरक्षक बल के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में स्पष्ट किया कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार होगा, जब उसकी समुद्री सीमाएं तकनीकी रूप से सुरक्षित हों. उन्होंने कहा कि अब युद्ध केवल गोला-बारूद का नहीं, बल्कि डेटा, ड्रोन और डिजिटल हथियारों का है.

राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्री खतरे तेजी से तकनीकी रूप से परिष्कृत हो रहे हैं. तस्करी और समुद्री डकैती के पुराने तरीके अब एआई स्पूफिंग, रिमोट-नियंत्रित नौकाओं और डार्क वेब आधारित नेटवर्क में बदल चुके हैं. उन्होंने तटरक्षक बल से अपील की कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आधारित निगरानी, साइबर रक्षा और स्वचालित प्रतिक्रिया तंत्र जैसे आधुनिक उपायों को अपनाएं. उन्होंने यह भी चेताया कि अब दुश्मन मिसाइलों से नहीं, बल्कि हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए देश की संप्रभुता पर हमला करने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप बनाने का आग्रह किया जो न केवल वर्तमान खतरों का समाधान दे, बल्कि भविष्य के जोखिमों की भी सटीक पूर्व-कल्पना कर सके.

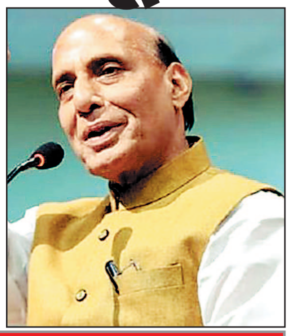

डिजिटल टूल्स ने युद्ध की परिभाषा बदल दी

उन्होंने कहा यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर और डिजिटल टूल्स ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है. उन्होंने बल को आगाह किया कि आज की लड़ाइयां सॉफ्टवेयर और सर्विलांस से लड़ी जा रही हैं. तटरक्षक को सक्षम निगरानी, रीयल टाइम इंटेलिजेंस और स्वचालित सुरक्षा प्रणालियों से लैस होना चाहिए. राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की ओर ध्यान खींचा. अब कोई देश मिसाइल से नहीं, बल्कि साइबर हमलों और हैकिंग के ज़रिए हमारी रक्षा प्रणालियों को निशाना बना सकता है.

रक्षा मंत्री ने वयं रक्षाम- के आदर्श वाक्य को दोहराते हुए कहा कि यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति एक गंभीर प्रतिज्ञा है. समुद्री जंग अब सेकेंडों की लड़ाई युद्ध का समय महीनों से घटकर अब सेकेंडों में आ चुका है. राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक को इसके लिए सतर्क व तकनीकी रूप से दक्ष बनने का संदेश दिया. सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि आधुनिक युद्ध अब समय की सबसे तेज परीक्षा बन चुके हैं. अब युद्ध महीनों में नहीं, सेकेंडों में लड़े जाते हैं,

बिहार को मिली नई अमृत भारत और 4 ट्रेनें

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

पटना/नई दिल्ली 29 सितंबर. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से आनलाइन तरीके और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से सोमवार को हरी झंडी दिखाकर बिहार में चलने वाली तीन नयी अमृत भारत और चार यात्री ट्रेनों को रवाना किया.

ये ट्रेनें बिहार को राजस्थान, दिल्ली और तेलंगाना से जोड़ेंगी. इस मौके पर वैष्णव ने कहा कि इस साल सरकार छठ और दीवाली पर 12,000 विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित कर रही है. रेल मंत्री ने जिन तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखायी उनमें बिहार के दरभंगा से राजस्थान के मदार (अजमेर), बिहार के छपरा से दिल्ली के आनंद विहार और बिहार के मुजफ्फरपुर से तेलंगाना के चर्लपल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं. गौरतलब है कि अमृत भारत एक्सप्रेस विश्वस्तरीय सुविधा और किफायती किराए के लिए जानी जाती हैं.

इन ट्रेनों में 11 कोच सेकंड क्लास और आठ कोच स्लीपर क्लास के हैं. मौजूदा समय में देश के विभिन्न रेल मार्गों पर 12 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और इन तीन नयी अमृत भारत ट्रेनों के जुड़ जाने के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 15 हो गयी है. रेल मंत्री ने कहा, नवरात्र के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर बचत उत्सव का उपहार दिया था और अब मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से काम किया जा रहा है. इसी के तहत बिहार को आज सात नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है, जिनमें तीन अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा, चार यात्री ट्रेनें भी आज से शुरू की गई हैं.

पहलगाम विधवाओं के साथ धोखा : केजरीवाल

नई दिल्ली, 29 सितंबर. अरविन्द केजरीवाल ने आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का पोस्ट रिट्वीट किया. जिसमें सौरभ भारद्वाज ने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर केंद्र की नीतियों और मीडिया प्रबंधन की आलोचना की.

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच से राजनीतिक और आर्थिक रूप से जिनलोगों को लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, उससे वास्तविक पीड़ित पहलगाम हमले की विधवाएं ठगा गई हैं. आप के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर केंद्र की नीतियों और मीडिया प्रबंधन की आलोचना की. भारद्वाज ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया सरकार ने पहलगाम की 26 विधवाओं को धोखा देकर पाकिस्तान के साथ मैच खेला और इस कार्रवाई से उन पर आशीर्वाद दिखाने का रंग लगाया गया. इस बीच, भाजपा या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं की है. राज्य और केंद्र सरकारों के बीच भविष्य में इस मुद्दे पर बातचीत या औपचारिक जांच की संभावना बनी हुई है.

उन्होंने कहा कि सरकार और उसके समर्थक गलत दावों व मीडिया प्रोपगैंडा के जरिये मामले को तुच्छ बना रहे हैं और वास्तविक मुआवजे तथा न्याय के सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं. आप नेता ने आर्थिक दावों को भी चुनौती दी— उन्होंने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान मैच से 490 करोड़ से 630 करोड़ रुपये की कमाई हुई और यदि यह राशि कथित तौर पर पीड़ितों को बांटी जाती तो प्रत्येक परिवार को 19 से 25 करोड़ रुपये मिलते. भारद्वाज ने इस तरह के दावों को ऑड-एडिट किए गए वीडियो और पायरेटेड कंटेंट से जोड़ते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी और उसके सहयोगी तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं. उन्होंने आगे केंद्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, झूठ की फैक्ट्री कान खोल के सुन – अपनी घटिया स्क्रिप्ट पर खिलाड़ियों और अभिनेताओं को नचाना बंद करो.

रूसी महिला हिरासत में, जासूसी का शक

मास्को, 29 सितंबर. रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने सोमवार को कहा कि उसने रूसी महिला सेवस्तोपोल को यूक्रेनी सैन्य खुफिया विभाग के लिए जासूसी करने और काला सागर बेड़े के जहाजों की तैनाती स्थानों की तस्वीरें प्रदान करने पर हिरासत में लिया है. जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने मिसाइल हमलों की योजना बनाने के लिए किया था. एफएसबी ने एक बयान में कहा, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने 1980 में जन्मी एक रूसी नागरिक को सेवस्तोपोल में हिरासत में लिया है, जो यूक्रेनी विशेष सेवाओं की ओर से खुफिया गतिविधियां चला रही थी.

कैंसर पीड़ित के इलाज की योगी ने की मदद

लखनऊ, 29 सितंबर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन के दौरान एक बुजुर्ग महिला के कैंसर पीड़ित बेटे को एंबुलेंस से सीधे कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट भिजवाया और बेहतर इलाज का निर्देश दिया.

योगी ने सोमवार सुबह जनता दर्शन किया. इस दौरान प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे. मुख्यमंत्री एक-एक करके सभी के पास पहुंचे, उनका प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया. इसी बीच कानपुर के रायपुरवा की 63-64 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज, हमारे जवान बेटे को कैंसर हो गया है. हम गरीब हैं, इलाज नहीं करा पा रहे. हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है. मेरे बेटे को जिंदगी दे दीजिए. इलाज के लिए कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए. बुजुर्ग महिला की यह बात सुन मुख्यमंत्री योगी ने तत्काल उस बच्चे को कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट भिजवाने और उपचार प्रारंभ कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर %जनता दर्शन से सीधे उसे अस्पताल भेज दिया गया. वहां उसकी जांच प्रारंभ हो गई. मुख्यमंत्री ने हर पीड़ित से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि सरकार हर सेवा, नारायण सेवा को अंगीकृत कर कार्य कर रही है. सभी प्रदेशवासियों के चेहरे पर खुशी लाना सरकार का उद्देश्य है. इसे लेकर ही सरकार नियमित रूप से कार्य कर रही है.

मुर्मु, मोदी और शाह ने दी टीम इंडिया को बधाई

नई दिल्ली 29 सितंबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने एशिया कप के विजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है. मुर्मु ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा.

एक नजर में

वियतनाम में तूफान बुआलोई ने दी दस्तक

हनोई, 29 सितंबर. तूफान बुआलोई ने सोमवार सुबह मध्य वियतनाम में दस्तक दे दी, जिससे अनेक क्षेत्रों में तेज हवाएँ और मूसलाधार बारिश शुरू हो गयी है. वियतनाम के राष्ट्रीय जल-मौसम विज्ञान पूर्वानुमान केंद्र के उप निदेशक डॉ. होआंग फुक लाम ने तूफान बुआलोई के मद्देनजर आज दोपहर से 30 सितंबर तक उत्तरी डेल्टा फु थो और दक्षिणी प्रांतों सोन ला, लाओ कै और थान होआ में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है. श्री लाम ने कहा इसके असर से कुल वर्षा 100-200 मिमी और स्थानीय स्तर पर 300 मिमी से अधिक होगी. उन्होंने 150 मिमी/तीन घंटे से अधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है. उत्तर वियतनाम के अन्य स्थानों में मध्यम, भारी और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुल वर्षा 70 से 150 मिमी के बीच तथा स्थानीय स्तर पर 200 मिमी से अधिक हो सकती है. इसके अलावा निचले, पहाड़ी और मध्य-भूमि क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और व्यापक सैलाब आने का खतरा बहुत अधिक बना हुआ है.

कांग्रेस ने भाजपा पर कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली 29 सितंबर. कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह हैरानी की बात है कि भाजपा गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले अपने प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. पार्टी ने सोमवार को कहा कि भाजपा प्रवक्ता की यह धमकी अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

एचडीएफसी बैंक लि. HDFC BANK We understand your world

स्कीम नं. 94, ब्रिलियंट एवेन्यु, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे, रिंग रोड़, इन्दौर-452010

आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एचडीएफसी बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणगृहिता/ जमानतदार/ बंधककर्ता **दांगी प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (ऋणी), राधेश्याम दांगी (सह-ऋणी)** को मंगनी करते हुए मांग सूचना पत्र दिनांकित **19 अक्टूबर 2024** उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर **कमर्शियल इक्विपमेंट रिटेल लोन एवं CV - GECL लोन (No. 84148963, 84287237, 84287249, 84367111, 84367123)** हेतु **रूपये 79,79,149.55/- (रुपये उनअस्सी लाख उनअस्सी हजार एक सौ उनपचास एवं पचपन पैसे मात्र)** दिनांक 16 अक्टूबर 2024 तक साथ ही आगे का ब्याज एवं खर्चे सहित सूचना पत्र में उल्लेखित राशि को लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणगृहिता/जमानतदार/बंधककर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणगृहिता/ जमानतदार/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक आधिपत्य दिनांक **27, सितंबर 2025** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणगृहिता/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषत: एवं सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **कमर्शियल इक्विपमेंट रिटेल लोन एवं CV - GECL लोन** हेतु **रूपये 79,79,149.55/- (रुपये उनअस्सी लाख उनअस्सी हजार एक सौ उनपचास एवं पचपन पैसे मात्र)** दिनांक 16 अक्टूबर 2024 तक एवं पुर्णभुगतान तक उस पर ब्याज एवं खर्चो सहित राशि के लिए **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बंधक परिसंपत्तियों की अनुसूची

1. मॉडल: SS JAW CRUSHER, चेसिस: 8474PR84148963, इंजन: 8474PR84148963
2. मॉडल: STEEL HOUSE CRUSHER-COMPONENT, चेसिस: SLNO001, इंजन: SLNO001
3. मॉडल: RHINO RHB06 ROCK BREAKER, चेसिस: SRNO235, इंजन: SRNO235
4. मॉडल: KESHAV CRUSHER-CONVEYOR BELT, चेसिस: MAM900, इंजन: MAM700
5. मॉडल: KUNJ CRUSHER -COMPONENT, चेसिस: 3G1J19370001756306, इंजन: 3G1J19470001772474

दिनांक : 27.09.2025
स्थान : इंदौर

अभिराज सिंह चौहान
ह/- प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

SMFG IndiaCredit Pragati Ki Nayi Pehchaan

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116 और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051 में है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांक की मांग सूचना जारी की है जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। निम्नलिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, निम्नलिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया हैः

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि और बकाया	कब्जे की तिथि
1. शिवानी साड़ी सेंटर 2. एमआरएस. शिवानी कटारिया 3. श्री. सुनील कटारिया 4. श्रीमती। स्मिता नीमा 5. अजय नीमा। ऋण खाता 213120911486807	10-07-2025.. 21,55,004/- (इक्कीस लाख पचपन हजार चार मात्र) 4 जुलाई, 2025 तक	26.09.2025

संपत्ति के मालिक - शिवानी कटारिया हैं। संपत्ति का विवरणः फ्लैट संख्या 206, दूसरी मंजिल, नेहा अपार्टमेंट, प्लॉट/मकान संख्या 3, लालबाग रोड, ब्लॉक ए, तहसील और जिला इंदौर, क्षेत्रफल 1071 वर्ग फुट (सुपर बिल्डअप एरिया)। सीमाएँः पूर्व-फ्लैट संख्या 205 ए, पश्चिम-उक्त प्लॉट का शेष भाग, उत्तर-फ्लैट संख्या 203 ए से होकर गुजरता है और दक्षिण-ब्लॉक बी।

विशेष रूप से ऋणी और आम जनता को एतद्वारा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर ऊपर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड का प्रभार लागू होगा। ऋणी का ध्यान, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

एसडी/-,
स्थानः मध्य प्रदेश दिनांकः 30/09/2025. प्राधिकृत अधिकारी- एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826
सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कार्यालय नंबर 2 मंजिल, 30 फ्रीगंज, रतलाम - 457001, मध्य प्रदेश।

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता/ऋणकताओं से देय राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफों में 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः-

स. क्रं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता संख्या/ शाखा	आज तक कुल बकाया	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ((RP)	बयाना राशि जमा राशि (EMD) 10%
1	सतीश चंद्र कसेरा, ललित कुमार कसेरा एवं हेमलता कसेरा IDRRM18002292	रु. 9,26,646/- (नौ लाख छब्बीस हजार छह सौ छियालीस मात्र) 07-05-2024 तक	अचल संपत्ति का एक टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल - 500 वर्ग फुट जनता गृह निर्माण समिति मर्यादित रतलाम के हिम्मत नगर, योजना क्रमांक 01, रतलाम (मध्य प्रदेश) में स्थित, सर्वेक्षण क्रमांक 714/1, भूखंड संख्या 22 के उत्तरी भाग में एक मकान बना है। सीमा पूर्व में, गली पश्चिम कॉलोनी रोड उत्तर के बाद भूखंड संख्या 03 पर मकान बना है। भूखंड संख्या 21 पर मकान बना है। दक्षिण में, भूखंड संख्या 22 के शेष भाग पर मकान बना है यह मकान गवली जी का है।	रु. 12,50,000/- (बारह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

1. नीलामी "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" के आधार पर आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं, जो उपर्युक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। 3. निर्धारित निविदा प्रपत्रों में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि, 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय ईएमडी के साथ, केवाईसी के साथ, 11-11-2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर जमा करनी है। जो निविदाएँ पूरी तरह से नहीं भरी गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 10-11-2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक है। 5. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव नीलामी खोलने की तिथि 12-11-2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक है। 6. क्रेता को नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि और सभी वैधानिक बकाया, कर, दर निर्धारण, सरकारी और अर्ध-सरकारी कर, टीडीएस और अन्य शुल्क, फीस आदि का भुगतान करना होगा। उपर्युक्त बंधक संपत्ति का कब्जा CHFL के पास है, जो उपरोक्त शर्तों का पालन करने पर सफल बोलीदाता को शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा। इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति के भार और शीर्षक के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और स्वयं का निरीक्षण और संतुष्टि भी करनी चाहिए। 7. संपत्तियों को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने के अन्य सभी खर्च और वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएँगे। 8. उच्चतम बोलीदाता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 9. उधारकर्ता/गारंटर को SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिनों का विक्रय नोटिस दिया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागतों के साथ वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता बिक्री की तिथि से पहले सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ऊपर दिए गए कार्यालय पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति - 1. श्री अंकित विग - 8668943242 2. श्री अजय उपाध्याय - 7450890241

एसडी/-
स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 30.09.2025 अधिकृत अधिकारी सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

आज का इतिहास

1975 एएच-64 अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर ने पहली बार उड़ान भरी।

1993 महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप से 10,000 लोगों की मौत। अपुष्ट खबरों में 28,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई।

1984 नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमाएं खोली

1994 अंतरिक्ष शटल एन्डेवर छह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 11 दिन के अभियान पर रवाना।

1996 तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया।

1996 - श्रीलंका की सेना ने तमिल छापामारों के एक गढ़ पर कब्जा किया। आठ दिन के संघर्ष में 900 लोगों की मौत।

2000 - आस्ट्रेलिया की मैरी जोन्स सिडनी ओलंपिक में महिलाओं की 1600 मीटर रिले में स्वर्ण और 400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीते.

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर - 452001
फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 96443 66650

सरफेसी अधिनियम के तहत मोचन/विक्रय सूचना-अचल सुरक्षित संपत्तियों/अमोल धकाते के लिए

1. श्री अमोल धकाते (ऋणी एवं बंधककर्ता)
पता (1): आरएच 19, ओमेक्स हिल्स, बायपास, डीपीएस स्कूल के पास, राउ, इन्दौर (म.प्र.) 450331,
पता (2): राकुतेन सिम्फनी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, सी-21 बिजीनेस पार्क, रेडिसन ब्लू होटल के सामने, एमआर 10, इन्दौर (म.प्र.) 452010
पता (3): फ्लेटनं. 207, दूसरी मंजिल, प्लाटनं. वी-01, सिलिकॉन सिटी, ग्राम निहालपुर मंडी, राउ, इन्दौर (म.प्र.) 452012
विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (8) के अंतर्गत नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (नियम) के नियम 8 (6) के साथ पठित।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी आपको निम्नानुसार नोटिस देते हैं, आईडीबीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा नियम 3 के साथ पठित 13(2) के तहत दिनांक 02.05.2024 को ऋणी को डिमांड नोटिस जारी किया तथा इसके माध्यम से नोटिस में उल्लेखित **राशि रु. 28,03,139.00/- (रुपये अठाईस लाख तीन हजार एक सौ उनचालिस मात्र)** ऋणों के संबंध में दिनांक **10.02.2024** तक बकाया राशि के लिए, साथ में दिनांक 10.02.2024 से प्रभावी ब्याज सहित उक्त नोटिस को तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। चूंकि आप श्री अमोल धकाते (ऋणी) उपरोक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 8(1) के साथ मिलकर **फ्लेट नं. 207, दूसरी मंजिल, प्लाट नं. वी-01, सिलिकॉन सिटी, ग्राम निहालपुर मंडी, राउ, इन्दौर (म.प्र.) 452012 में स्थित आपकी अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों** का भौतिक कब्जा ले लिया है, अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नियम 8 के उप-नियम (1), (2) और (2-ए) के अनुपालन में कब्जा नोटिस जारी किया है। आपकी अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के बाद, अधोहस्ताक्षरकर्ता उन्हें बेचने का प्रस्ताव रखते है। तदनुसार, नियम 8(6) के साथ धारा 13(8) के तहत आपको नोटिस दिया जाता है कि अनुलग्नक में अधिक विस्तृत रूप से उल्लेखित अचल सुरक्षित परिसंपत्ति को इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के बाद नियम 8 (5) में उल्लेखित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक को अपनाकर बेचा जाएगा, अर्थात
(ए) सुरक्षित परिसंपत्तियों में काम करने वाले या ऐसी परिसंपत्तियों को खरीदने में अन्यथा रुचि रखने वाले पक्षों से कोटेशन प्राप्त करके, या
(बी) जनता से निविदाएं आमंत्रित करके या
(सी) ई-नीलामी मोड के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके, या
(डी) निजी संधि द्वारा
इस संबंध में, आप **10.02.2024 तक रु. रु. 28,03,139.00/- (रुपये अठाईस लाख तीन हजार एक सौ उनचालिस मात्र)** के संपूर्ण बकाया का भुगतान अनुबंध दरों पर अतिरिक्त ब्याज और लागतों के साथ कर सकते हैं और ऊपर निर्दिष्ट 30 दिनों के भीतर संबंधित अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ा सकते हैं। उनका कब्जा वापस ले सकते है। यदि आप ऋणी इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों केभीतर ऊपर बताए गए बकाया का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक किसी भी उपरोक्त तरीके को अपनाकर उक्त अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए आगे बढ़ने केलिए स्वतंत्र होंगे।
कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस आपको धारा 13 (8) के साथ नियम 8(6) के अनुसार जारी किया गया है, तथा अधिनियम या नियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत आईडीबीआई बैंक को उपलब्ध अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
आरक्षित मूल्य रु. 27,00,000/- एवं धरोहर राशि रु. 2,70,000/-

अनुलग्नक-1 (अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण)
संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट नं. 207, दूसरी मंजिल, सिल्वर टेरेस, प्लाट नं. वी-01, सिलिकॉन सिटी, ग्राम निहालपुर मंडी, राउ, इन्दौर (म.प्र.) 452012 पर स्थित अचल संपत्ति, सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल: 1095 वर्गफीट (101.76 वर्गमीटर), चर्तु:सीमा: पूर्व: भवन का एमओएस , पश्चिम: खुल आसमान एवं सड़क, उत्तर: प्लाट नं. वी-02, दक्षिण: फ्लेट नं. 206
स्थान: इन्दौर, दिनांक: 26.09.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
पीथमपुर शाखा: शॉप नंबर डीयूजीएफ-46 एवं डीयूजीएफ-47, संपत्ति नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, (म.प्र.) - 453331

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 05100001093/ पीथमपुर शाखा) सुबान बैग(ऋणी), साना बी (सह-ऋणी) फुरकान बैग एवं शेख हुसैन (जमानतदार)	16-04-2021 & ₹ 5,03,653/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, यूनिट नं. बी-103 (ईडब्ल्यूएस), एफएफ बिल्डिंग बी, ट्रेजर टाउन ग्राम बीजलपुर , तहसील इन्दौर मध्यप्रदेश-452001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- यूनिट नं. 102, पश्चिम- खुली जगह, उत्तर - कॉरिडोर, दक्षिण - खुली जगह	Rs. 3,34,800/-	Rs. 33,480/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **04-11-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **06-11-2025 दोपहर: 03:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय संपर्क नंबर 7583898990**या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 30.09.2025
सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड